INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

संदर्भ सं0 5 PresR/001 26 जुलाई 2017

सेवा में,
सम्पादक/व्यूरो चीफ

महोदय,

निम्नलिखित प्रेस नोट आपके प्रतिष्ठित समाचार–पत्र/न्यूज चैनल में प्रकाशित/प्रसारित करने हेतु प्रेषित है:–

<u>isl &ukV</u>

- vkbZ0vkbZ0,0 }kjk th0,l0Vh0 esa bZ&os fcy dks LFkfxr djus dh mRrj izns'k ljdkj ls ekaxA
- mRrj izns'k ljdkj }kjk vkt ls ykxw bZ&os fcy iz.kkyh c<+k;xh izns'k ds m|fe;ksa dh ijs'kkfu;kaA
- th0,l0Vh0 ykxw gksus ij ^^,d ns'k ,d dj** ds foijhr mRRkj izns'k ljdkj dk bZ&os fcy ij dk;kZy; vkns'kA

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन(आई0आई0ए0) ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत ई–वे बिल प्रणाली आज से लागू करने के निर्णय को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। इसके साथ–साथ ई–वे प्रणाली को जी0एस0टी0 रूल्स में दिये गये रू0 50,000/– मूल्य के समान के स्थान पर रू0 5000/– या उससे अधिक पर लागू करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का भी आई0आई0ए0 ने विरोध किया है।

आई0आई0ए0 के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील वैश्य ने आज इस सम्बन्ध में चेयरमैन जी0एस0टी0 कॉउसिल भारत सरकार, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग उ0प्र0 सरकार तथा कमिश्नर राज्यकर/ वाणिज्यकर उ0 प्र0 सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में दिये गये आश्वासन के अनुरूप उ0प्र0 में ई–वे बिल की प्रक्रिया को माह अक्टूबर 2017 से पूर्व न लागू किया जाये। खासतौर पर अधिकतम सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी अभी जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त प्रारम्भिक प्रक्रियाओं के झंझट से ही मुक्त नही हो पाये है जिसके कारण उनका व्यवसाय पहले ही मन्दी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक और जटिल प्रक्रिया ई–वे बिल के रूप में इन उद्यमियों पर लागू करने से उनकी परेशानियॉ और बढ़ जायेगी। प्रदेश सरकार द्वारा ई–वे बिल को लागू करने की सीमा को रू0 50,000/– से कम कर रू0 5000/– पर लागू करना भी जी0एस0टी0 प्रणाली की मूल भावना के विपरीत है।

अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि 1 जुलाई 2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के बाद 3 माह तक एस0आई0बी0 सर्वे एवं सिज़र स्थगित रहेगे। अध्यक्ष आई0आई0ए0 ने अपने पत्रो में सरकार को लिखा है कि ई–वे बिल प्रणाली लागू होने पर यह सर्वे एवं सिज़र स्वतः ही प्रारम्भ हो जायेंगे जिससे प्रदेश के उद्यमियों का सरकार के आश्वासनो पर विश्वास डगमगा जाएगा।

Head Office : IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Phase-II, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Tel.: +91-522-2720090, 3248178, Fax: +91-522-2720097, e-mail: iia@iiaonline.in, Website : www.iiaonline.in

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 26 जुलाई 2017 से ई–वे बिल प्रणाली तो लागू कर दी गयी है, परन्तु इसके लिये सॉफटवेयर एवं सिस्टम अभी न तो प्रदेश सरकार के स्तर पर और न ही भारत सरकार के स्तर पर तैयार है। ऐसे में माल के आने–जाने के लिये जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व वैट के समय की प्रणाली को यथावत लागू करना उचित नही है, श्री वैश्य ने कहा।

अध्यक्ष आई0आई0ए0 ने चेयरमेन जी0एस0टी0 कॉउसिल भारत सरकार को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया है कि ई–वे बिल प्रणाली देश के सभी राज्यों में एक साथ माह अक्टूबर 2017 से पूर्व लागू न की जाये जिससे उद्यमियों और व्यवसाइयों को जी0एस0टी0 प्रणाली को लागू करने में सांस लेने का मौका मिल सके। यह भी आग्रह किया गया है कि देश के सभी राज्यों में जी0एस0टी0 प्रणाली एक समान लागू हो और उत्तर प्रदेश सरकार को जी0एस0टी0 कॉउसिल यह सलाह दे की ई–वे बिल की प्रभार्यता रू0 50,000/– से कम न की जाये।

अध्यक्ष आई0आई0ए0 ने उ0प्र0 सरकार से भी यह आग्रह किया है कि ई–वे बिल व्यवस्था को माह अक्टूबर 2017 तक स्थगित कर इसे रू0 50,000/– से अधिक मूल्य के माल पर ही लागू किया जाये।

डी0एस0 वर्मा
अधिशासी निदेशक